

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला-अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 118/2020

आकाश पुत्र सम्पत कुमार चौ रडिया उम्र बालिग जाति जैन निवासी बिजयनगर तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर (राज.)

-----वादी

बनाम

1. सावित्री पुत्री नाथु लाल उम्र बालिग
2. धीरज पुत्री नाथु लाल उम्र बालिग
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय बिजयनगर जिला अजमेर

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 06.11.2020

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2020 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार बिजयनगर डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार बिजयनगर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2020/4046 दिनांक 26.10.2020 को प्रस्तुत किया गया। उपस्थित वादी के अधिवक्ता ने बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा बाडी पटवार हल्का बाडी तहसील बिजयनगर में स्थित खसरा नंबर 1703/1 रकबा 0.0647 हेक्टेयर सावित्री पुत्री नाथू, धीरज पुत्र नाथू कौम ब्राह्मण सा0 बरल द्वितीय खातेदार एवं खसरा नम्बर 1703/2 रकबा 0.1456 हेक्टेयर व खसरा नं. 2367/1697 रकबा 0.1132 हेक्टेयर आकाश पुत्र सम्पत कुमार चोरडिया कौम जैन सा0 बिजयनगर खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बिजयनगर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एवं लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मोहनलाल खड्का जिया)  
आरोपी  
उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर) राज.